

जेपीआर 5-688

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302008
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803
ईमेल - c_comml@yahoo.com

क्र0जेपीडी/अधी.अ/वा./अधिअभि (वा-1)/एफ.4(392)जेपीआर/प्रे0 204 दिनांक - 01/04/13


आदेश

विषय - कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

कृषि कनेक्शनों में अनाधिकृत रूप से बढ़े हुए भार को नियमित करने हेतु आदेश क्र0 1173 दिनांक 25.07.2012 (जेपीआर 5-653) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा" योजना प्रसारित की गई थी। यह योजना दिनांक 30 नवम्बर 2012 तक प्रभावी थी। दिनांक 28.01.2013 को आयोजित डिस्कॉम ऑर्डिनेशन फोरम की बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श के बाद लिये गये निर्णय के अनुसार, पूर्व में जारी आदेश क्र0 1173 दिनांक 25.07.2012 (जेपीआर 5-653) द्वारा प्रसारित योजना को 31 मार्च 2013 तक बढ़ाया जाता है।

उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही रहेंगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से,


1.02.13
(आर0 पी0 अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)